

SHRI P. RAJEEVE: Sir, he is mentioning facts only. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, let me say one thing. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Veer Singh.

Establishment a High Court Bench of Allahabad in Western Uttar Pradesh

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट बेंच को लेकर जो बहुत पुरानी मांग है, उसके संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बने, इसके लिए चालीस वर्षों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, वहां के व्यापारी, वहां के किसान, वहां का आम आदमी मांग कर रहे हैं, किन्तु अभी तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हुई है। पिछले एक माह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। इसके साथ-साथ न्यायालयों का काम भी ठप पड़ा हुआ है। मेरी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, इसकी आबादी आठ करोड़ की है और यह इलाहाबाद से काफी दूर पड़ता है। दूर होने के कारण गरीबों को सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है, गरीब लोग वहां नहीं जा पाते, जिससे वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था, उनकी एक सोच थी कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को सुलभ न्याय मिले और छोटे-छोटे स्टेट बनें, छोटे-छोटे जिले बनें। ऐसा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सपना था। इसी सपने को लेकर आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे जिले बनाए थे और केन्द्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव भी रखा था कि उत्तर प्रदेश के चार राज्य बनें। चार राज्य बनने पर लोगों को सुलभ न्याय मिलेगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से जो हाई कोर्ट बेंच की मांग चल रही है, उसकी स्थापना करें। वहां पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी किसानों, व्यापारियों, गरीब लोगों के हित में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे एसोसिएट कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि लाहौर की दूरी 400 किलोमीटर है, जबकि इलाहाबाद की 600 किलोमीटर है ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Mahendra Singh Mahra.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, हाई कोर्ट बेंच की बात सही है, लेकिन चार राज्यों के बंटवारे की बात का हम विरोध कर रहे हैं।

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश) : हम बंटवारे का विरोध करते हैं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : हम बंटवारे का विरोध करते हैं।

श्री वीर सिंह : छोटे स्टेट होने से न्याय मिलेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Mahendra Singh Mahra.

Demand for increasing gas supply to Uttarakhand

श्री महेन्द्रसिंह माहरा (उत्तराखंड) : माननीय उपसभापति जी, उत्तराखंड प्रदेश 1 करोड़, 20 लाख की आबादी वाला प्रदेश है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी : इससे तो हमें ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बैठिए त्यागी जी। ...**(व्यवधान)**...

श्री महेन्द्र सिंह माहरा : आज उत्तराखंड गैस और मिट्टी के तेल की भारी कमी के कारण परेशानी से जूझ रहा है। मान्यवर, यदि उत्तराखंड का भूगोल देखें, तो 13 जिलों में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों के हैं और संपूर्ण उत्तराखंड 65 परसेंट जंगल से घिरा हुआ है, परंतु आज हमें जलाने की लकड़ी के लिए तरसना पड़ता है। आज यदि रोटी बनाने के लिए हम लकड़ी काटना चाहें, तो नहीं काट सकते हैं। उत्तराखंड में केरोसीन का जो कोटा नई सरकार ने कम किया है, जो कि पिछली सरकार के समय में 9,913 किलोलीटर था, इस सरकार ने, केन्द्र की नई सरकार ने उसको काटकर 2972 किलोलीटर कर दिया है। यानी 6941 किलोलीटर केरोसीन कम कर दिया गया है। मान्यवर, प्रदेश में गैस के कनेक्शन कम करने के बाद लोगों को पंद्रह-पंद्रह, बीस-बीस दिन तक लाइन में खड़े होना पड़ता है और वे गैस लिए बिना ही घर वापस चले जाते हैं। सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था चौपट है, सारी प्रणाली फेल हो चुकी है, आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, बैंकों में खाते नहीं खुल पा रहे हैं और स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। मान्यवर, उत्तराखंड के दस जिले, जो पहाड़ी, पर्वतीय क्षेत्र में हैं, उन कई जिलों की सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, इस विस्फोटक स्थिति के कारण रोजाना सड़कों पर जाम लगता है और रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राज्य में गैस और केरोसिन तेल की आपूर्ति बढ़ाई जाए; ऑनलाइन व्यवस्था और आधार कार्ड को ठीक कराया जाए एवं बैंक में खाते शीघ्र खुलवाए जाएं। धन्यवाद।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I would like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I would also like to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Reported caste discrimination among school children

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : सर, यह मेरा सौभाग्य है कि आज प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हुए हैं और मैं उन्हीं के स्लोगन से अपनी शून्यकाल की बात की शुरुआत करती हूं। प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया है “सबका साथ, सबका विकास” और “मेक इन इंडिया”। मैं उनसे